



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-6183/MH/641/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 06.05.2026

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-धाराशिव,
कलेक्टर कार्यालय,
धाराशिव (महाराष्ट्र)-413 501
ई-मेल: collector.dharashiv@maharashtra.gov.in

विषय: आवेदकों के मालिकाना हक की भूमि को महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति भूमि प्रत्यर्पण अधिनियम, 1974 की कलक 3 और 4 के अंतर्गत वापिस किए जाने के संबंध में श्री अंकुश बंशी शिंदे व अन्य, मु. पो. ईटकुर, ता. कलब, जिला-धाराशिव, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 01.10.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 06.11.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 18.05.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री अंकुश बंशी शिंदे,
मुक्काम व पोस्ट-ईटकुर,
तालुका-कलब, जिला-धाराशिव, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



ई मेल / e-mail : ro-bhopal@ncst.nic.in
टेलीफैक्स/Telefax : 0755 2576530
0755 2578272

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission For Scheduled Tribes

भारत सरकार

Government of India

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)

(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कंगल, गाँवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR M.P. MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERALA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)
कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरंसा हिल्स, हांशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-6183/MH/641/2025-RO-BII/RU-1

दिनांक: 06/11/2025

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय,
धाराशिव,
उस्मानाबाद, महाराष्ट्र 413501
Email Id: rdc.losmanabad@gmail.com

विषय: श्री अंकुश बंशी शिंदे व अन्य, मु. पो. ईटकुर, ता. कलब, जिला धाराशिव (महाराष्ट्र) - आवेदकों के मालिकाना हक की भूमि को महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति भूमि प्रत्यर्पण अधिनियम, 1974 की कलक 3 और 4 के अंतर्गत वापिस किए जाने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री अंकुश बंशी शिंदे से दिनांक 01/10/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

L.K.

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
उप निदेशक/Deputy Director
दूरभाष सं.: 011-24615012
ई-मेल: assttdir@ncst.nic.in

अध्यापक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National
Commission for Scheduled Tribes, Bhopal
दस्तावेज संख्या/ File No. 1742/43
दिनांक: 06/11/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री अंकुश बंशी शिंदे,
मु. पो. ईटकुर, ता. कलब,
जिला धाराशिव (महाराष्ट्र),
Mobile No: 9518595856